

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आकाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
320/2024

दायर दिनांक

18.06.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

03.07.2024

1. सुन्दर पत्नि रामा जाट उम्र वयस्क निवासी खलीफा खेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-प्रार्थीया

वनाम

- भंवर कंवर पत्नि शोभाग सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- घंचल पुत्री जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- जगदीश पुत्र जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- पिंकी पुत्री जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- बबलू पुत्र जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- रुकमा देवी पत्नि जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- राजेन्द्र पुत्र जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- रामदयाल पुत्र जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
- संतोक पुत्री जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. कंकू पुत्री मांगू जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. कल्याण पुत्र मांगू जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
12. काना पुत्र मांगू जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
13. लादू पुत्र मांगू जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
14. लीला देवी पत्नि जगदीश खटीक उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
15. कल्याण पुत्र मांगू जाट उम्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Ahad

**उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा**

16. प्रतापलाल पुत्र भैरु गाडारी उग्र वयस्क निवासी बबराणा तह0 बनेडा हाल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
17. आईसीआईसीआई बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा सुभाषनगर भीलवाड़ा
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी अमित देराशी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं

—विपक्षीगण


—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बबराणा प0ह0 बबराणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 723 की अभिलिखित आराजियात 1858/253 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 3.7939 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


उपसंचालक अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बबराणा प0ह0 बबराणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 723 की अभिलिखित आराजियात 1858/253 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 3.7939 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा